



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour and Employment, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, "भविष्य निधि भवन"
REGIONAL OFFICE, "BHAVISHYANIDHI BHAVAN"

पत्र पे सं./P.B.NO:1806, एरन्जिपालम /ERANHIPALAM.P.O., कोषिकोड/ Kozhikode-673 006.

दूर भाष / Phone No.: 2361293, 2767893, 2368193 फैक्स/ Fax: 2768850.

ई.मेल /E.Mail: ro.kozhikode@epfindia.gov.in वेब साइट/Website : www.epfindia.gov.in



अधिवक्ताओं के नामिकायन के लिए आवेदन की सूचना
श.क.भा.नि.सं. के.के.डी. / न.ज.न. / 2019

दि: 6.5.2019

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की एक सांविधिक निकाय है, की ओर से केंद्रीय बोर्ड को विविध विधिक फोरमों में जैसे माननीय केरल उच्च न्यायालय/ विविध निम्न स्तर के न्यायालयों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए परामर्शदाता(ओं) की नामिकायन सूची तैयार करना प्रस्तावित है।

भारत के बार काउंसिल /स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नामिकायन हेतु पात्र है। शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अन्य नियम व शर्तें और आवेदन प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जाना है, संलग्न है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्तमान नामसूची के अधिवक्ता इस सूचना के आधार पर नए नामसूची बनने के बाद नामसूची से बाहर होंगे। अतः उन सभी अधिवक्ता नए सिरे से इस सूचना का संदर्भ लेते हुए आवेदन करें।

पात्र कार्यरत अधिवक्ता अनुलग्नक "क" एवं अनुलग्नक "ख" में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुहर बंद लिफाफे में निम्न पते पर अपना आवेदन प्रस्तुत करें: -

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
भविष्य निधि भवन, एरन्जिपालम - पोस्ट, कोषिकोड - 673006,
फोन: 2361293, 2767893, 2368193

लिफाफे निम्न प्रकार से अधोलिखित करें -

" क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड के लिए केरल उच्च न्यायालय, निम्न स्तर के न्यायालयों में अधिवक्ताओं के नामिकायन हेतु आवेदन"

निर्धारित प्रपत्र में सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 15 /5/2019 को 16.00 बजे तक है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामिकायन हेतु आवेदन करने से आवेदकों को किसी भी रूप से यह अधिकार या आश्वासन नहीं मिल जाता कि आवेदकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नामिकायन में सूचीबद्ध किया जाएगा। क.भ.नि.सं., अधिवक्ताओं को अपने नामिकायन की पुष्टि करते हुए पत्र अलग से जारी करेंगे।

(अधिक जानकारी एवं प्रपत्र हेतु मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 03/05/2017 का संदर्भ करें जो क.भ.नि.सं की वेबसाइट में वर्ष 2017-18 के कार्यालय ओदश/परिपत्र लिंक (शीर्षक) के नीचे क्र.सं: 53 में उद्धृत है।)

आर. सुरेश बेबि

(आर. सुरेश बेबि)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क.भ.नि संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour and Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, "भविष्य निधि भवन"

REGIONAL OFFICE, "BHAVISHYANIDHI BHAVAN"

पत्र पें सं./P.B.NO:1806, एरन्जिपालम पोस्ट /ERANHIPALAM.P.O., कोच्चिकोड/ Kozhikode-673 006.

दूर भाष / Phone No.: 2361293, 2767893, 2368193 फॅक्स / Fax: 2768850.

ई.मेल /E.Mail:sro.kozhikode@epfindia.gov.in वेब साइट/Website : www.epfindia.gov.in

NOTICE INVITING APPLICATION FOR EMPANELMENT OF ADVOCATES

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), on behalf of the Central Board, Employees' Provident Funds, a statutory body of the Ministry of Labour & Employment, Government of India, propose to engage Panel Counsel(s) to represent the Central Board, EPF before the Hon'ble High Court of Kerala/Lower Courts.

The practicing advocates who are registered with Bar Council of India/State Bar Council are eligible for empanelment. The qualification, experience, schedule of fees, other terms and conditions and the application format in which the application has to be made, have been prescribed.

The existing panel of Advocates of EPFO shall cease to exist after new panel is finalized against this notice. Therefore, the advocates in the existing panel may also apply afresh in response to this notice.

Eligible practicing advocate must submit application in the format prescribed in Annexure "A" and Annexure "B" enclosed herewith, along with all supporting documents in a sealed envelope to:-

Regional Provident Fund Commissioner
Regional Office, Employees Provident Fund Organisation,
Bhavishyanidhi Bhavan, Eranhpalam.P.O, Kozhikode – 673 006
Telephone :- 2361293,2767893,2368193


The envelope should be superscribed as following:-

"Application for Empanelment of Advocate for Hon'ble High Court of Kerala/Lower Courts, for Regional Office, Kozhikode."

The last date of receiving Application in the prescribed format alongwith supporting documents is 15.05.2019 till 16.00 hours.

Application for empanelment at EPFO does not confer any right/assurance whatsoever, to an applicant that he/she will be empanelled on the panel of EPFO. Letters to advocates confirming their empanelment will be issued by EPFO separately.

(FOR DETAILS AND PROFORMA, REFER HEAD OFFICE CIRCULAR DATED 03.05.2017 posted on EPFO Website at Sl.No 53 of Office Orders/Circulars section (2017-2018)


R. SURESH BABY
Regional Provident Fund Commissioner